न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2020/01164/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल कनवाडा, तहसील दूनी जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक भू.अ.6एफ01(1)/पटवारी/दूनी/वि.जा./17सीसीए/2020/2643 दिनांक 19.06.2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री मुकेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल कनवाडा, तहसील दूनी जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः— 20.02.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक भू.अ.6 एफ 01 (1)/पटवारी/दूनी/वि.जा./17सीसीए/2020/2643 दिनांक 19.06.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक भू.अ.6एफ1(1)/पटवारी/दूनी/वि.जा./17सीसीए/2020/684 दिनांक 07.02.2020 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

1. आप पटवारी, पटवार मण्डल कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक के पद पर कार्यरत रहते हुये आपको फसल सम्वत 2076 खरीफ में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों की सूचियां तैयार किये जाने के संदर्भ में तहसीलदार दूनी द्वारा बार—बार मौखिक व लिखित में निर्देशित किये जाने के उपरांत भी आप द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई है, इस संदर्भ में तहसीलदार दूनी द्वारा

उनके कार्यालय के पत्रांक 2227–2232 दिनांक 20.11.2019, 2301–2306, दिनांक 27.11.19 एवं 112–117 दिनांक 16.1.2020 से उक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण किये जाने बाबत आपको निर्देशित किया गया था तथा कारण बताओ नोटिस भी पत्रांक 198 दिनांक 30.01.2020 से जारी कर कार्य 7 दिवस में पूर्ण किये जाने की हिदायत दी गईं थी। किन्तु आप द्वारा ना हि कार्य पूर्ण किया गया और ना ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.02.2020 को उपपंजीयक कार्यालय दूनी के निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपसे आपके पटवार मण्डल कनवाडा तथा अतिरिक्त प्रभार वाले पटवार मण्डल घाड व सीतापुरा में उक्त कार्य की प्रगति के सम्बंध में जानकारी चाहे जाने पर आप द्वारा कार्य की प्रगति के सम्बंध कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये तथा एक भी ग्राम के प्रभावित काश्तकारों की सूची तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। आपका उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना एवं राजकार्य मे उदासीनता व लापरवाही का द्योतक है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

2. आपको फसल सम्वत 2076 खरीफ अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों की सूचियां DMIS पोर्टल पर अपलोड/फीड किये जाने के संदर्भ मे तहसीलदार दूनी द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरांत भी आप द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई। इस संदर्भ में तहसीलदार दूनी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 2227–2232 दिनांक 20.11.2019, 2301–2306 दिनांक 27.11.19 एवं 112–117 दिनांक 16.1.2020 से उक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण किये जाने बाबत आपको निर्देशित किया गया था तथा कारण बताओ नोटिस भी पत्रांक 198 दिनांक 30.01.2020 से जारी कर कार्य 7 दिवस मे पूर्ण किये जाने की हिदायत दी गई थी किन्तु आप द्वारा ना तो कार्य पूर्ण किया गया और ना ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.02.2020 को उपपंजीयक कार्यालय दूनी के निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपसे आपके पटवार मण्डल कनवाडा तथा अतिरिक्त प्रभार वाले पटवार मण्डल घाड व सीतापुरा में DMIS पोर्टल डाटा अपलोड/फीडिंग कार्य की प्रगति के सम्बंध में जानकारी चाहे जाने पर आप द्वारा कार्य की प्रगति के सम्बंध कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये तथा किसी भी पटवार मण्डल के सम्वत 2076 फसल खरीफ में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों की अनुमानित संख्या भी नहीं बताई गई। तहसीलदार दूनी द्वारा भी आपको कार्य में प्रगति लाने की बार–बार हिदायत देने के उपरान्त भी आप द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड फीड का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका और

किसानों को आदान अनुदान भुगतान के कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। आपका उक्त कृत्य उच्चाधिकारियो के आदेशों की अवेलहना एवं राजकार्य मे उदासीनता व लापरवाही का द्योतक हैं जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 25.02.2020 को जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर टोंक के पत्रांक भू.अ.6एफ1(1)/पटवारी/दूनी/वि.जा./17सीसीए/2020/922 दिनांक 19.02.2020 द्वारा तहसीलदार दूनी से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमे श्री मीणा पर आरोपित आरोप को सही माना है। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर टोंक के उक्त दण्डादेश दिनांक 19.06.2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट का पदस्थापन पटवार मण्डल कनवाडा तहसील दूनी है, परन्तु अपीलांट को मूल सर्किल के अलावा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में पटवार हल्का–घाड़ व सीतापुरा का कार्य भी दे रखा हैं। इसके अलावा हल्का ठिकरिया कलां का भी चार्ज अपीलांट के पास ही था। इस प्रकार अपीलांट के पास चार पटवार हल्कों का कार्यभार था। फसल संवत 2076 खरीफ में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों की सूचियां तैयार किये जाने का कार्य जो अन्य

पटवारीयों के साथ अपीलांट को भी दिया गया था, उस सन्दर्भ में उक्त सूची तैयार करने के लिए पटवार हल्कों में काश्तकारों से आधार नम्बर व बैंक डिटेल घर–घर जाकर एकत्रित किया जाना, होता है एवं मौके पर जाकर आंकलन किया जाता है कि कौनसी फसल मौके पर थी एवं उसका खराबा किस स्तर तक हुआ है, इस कार्य में विलम्ब होना लाजमी था, क्योंकि यदि किसी काश्तकार की सूचना गलत चली जाती तो भी पटवारी को ही दोषी मानकर दण्डित किया जाता। इस स्थिति को देखकर अपीलांट ने अत्यन्त ही संवेदनशीलता के तहत कार्य करते हुए प्रत्येक काश्तकार से यह सूचना तलब की। चूंकि अपीलांट के पास तीन अन्य पटवार हल्कों का कार्यभार भी था, जिसके लिए उनकी भी सूचना तैयार की जानी थी, इसलिए अपीलांट से संयुक्त रूप से कुछ–कुछ दिनों के अंतराल में प्रत्येक हल्के में जाकर उक्त सूचना तलब की। अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि पटवारी के पास अन्य भी कई महत्वपूर्ण कार्य होते है, जिनके नही करने से काश्तकार नाराज हो जाते है तथा अनावश्यक रूप से शिकायत करते है। उक्त सूची के साथ–साथ उनकी संतुष्टि भी आवश्यक थी। तत्समय ही पंचायत आम चुनाव–2020 सम्पादित हुए। जिसके लिए भी प्राथमिकता के आधार पर उक्त पंचायत चुनाव को सम्पन्न कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रकार अपीलांट ने मेहनत से कार्य किया है, जिसके एवज में अपीलांट को जो दण्डित किया गया है, वह उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलांट ने सीमा व क्षमता से अधिक पूरी लगन व मेहनत तथा जिम्मेदारी से राजकार्य सम्पादित किया है। जिला कलक्टर टोंक का दूनी निरीक्षण के दौरान उनसे निवेदन किया कि उनके पास तीन–तीन पटवार मण्डलों के अतिरिक्त चार्ज है, जिसके कारण राजकार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। तत्समय स्वयं तहसीलदार दूनी ने जिला कलक्टर टोंक को अवगत कराया कि दूनी तहसील में आधे से ज्यादा पटवारियों के पद रिक्त चल रहे है। इन तथ्यों को स्वयं तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.03.2020 में स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर दण्डित करना उचित एवं विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट ने अपने कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की है, बल्कि मेहनत से तीन पटवार मण्डलों का कार्य क्षमता के अनुसार पूर्ण किया है। यह कि आरोप संख्या दो के बारे में निवेदन है कि संवत 2076 खरीफ फसल में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे के मुआवजे भुगतान हेतु प्रभावित काश्तकारों की सूचियां व विवरण DMIS पोर्टल पर अपलोड हेतु पटवारियों को फरवरी

माह–2020 के प्रथम सप्ताह में ही निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसके द्वारा अपीलांट उक्त तीनों पटवारी हल्कों के काश्तकारों से आधार नम्बर व बैंक डिटेल घर–घर जाकर एकत्रित किये है। इस संबंध मे जिला कलक्टर टोंक को दिनांक 06.02.2020 को तहसील दूनी में कार्यरत सभी पटवारियों ने स्थिति से अवगत कराया एवं उस समय किसी भी पटवारी का उक्त सम्पूर्ण कार्य पूर्ण नहीं था, चूंकि घर–घर जाकर काश्तकारों से सूचना एकत्रित करने में समय लगना, सही जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त ही आवश्यक था। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर टोंक के दण्डादेश दिनांक 19.06.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को जिला कलक्टर टोंक द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोप के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 19.06.2020 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल कनवाडा, तहसील दूनी जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक भू.अ.6एफ01(1)/पटवारी/दूनी/वि.जा./17सीसीए/2020/2643 दिनांक 19.06.2020 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर